



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-378 राँची, गुरुवार,

29 जुलाई, 2021 (ई०)

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग)

अधिसूचना

22 जुलाई, 2021

सं०-ना०वि०-V-52/2014 (Part-1)/ 453--Telecom Tower सहित Fixed Wireless Stations के निर्माण हेतु दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत गठित Standing Advisory Committee on Radio Frequency Allocations (SACFA), द्वारा Technical clearance प्रदान की जाती है जिसमें DGCA द्वारा licensed हवाई अड्डों हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा height clearance संबंधी मंतव्य प्रदान किया जाता है ।

2. Non DGCA licensed हवाई अड्डों हेतु उपरोक्त height clearance संबंधी मंतव्य संबंधित राज्य सरकार के नागर विमानन विभाग द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान है ।
3. उपरोक्त प्रावधान के आलोक में झारखण्ड राज्य में अवस्थित Non DGCA licensed हवाई अड्डों के आस-पास होने वाले telecom tower के निर्माण हेतु height clearance संबंधी मंतव्य दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु कैप्टन एस० पी० सिन्हा, निदेशक संचालन, नागर विमानन प्रभाग को राज्य का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है ।
4. कैप्टन सिन्हा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के आलोक में झारखण्ड राज्य में अवस्थित हवाई अड्डों के आस-पास telecom tower के निर्माण हेतु राज्य के

नागर विमानन प्रभाग की ओर से **height clearance** संबंधी मंतव्य दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे ।

5. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
